भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2137

18.12.2025 को उत्तर के लिए

डुगोंग की आबादी में कमी

2137 श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आईयूसीएन की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार देश में डुगोंग (समुद्री गाय) की आबादी विलुप्त होने के कगार पर है;

(ख) क्या सरकार द्वारा डुगोंग की आबादी का कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) समुद्री प्रदूषण और गलत मानवीय कार्यकलापों से डुगोंग पर्यावास को बचाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) डुगोंग को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है और इस प्रकार इसे सर्वोच्च स्तर का संरक्षण प्राप्त है। यह मंत्रालय बाघ, हिम तेंदुआ और डॉल्फिन जैसी प्रमुख प्रजातियों की संख्या का आकलन करता है। कई अन्य वन्य जीवों की संख्या का आकलन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है, जिनका संकलन मंत्रालय के स्तर पर नहीं किया जाता है।

सरकार द्वारा डुगोंग और उनके पर्यावासों सहित समुद्री वन्यजीवों की रक्षा के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है।

ii. कई संकटग्रस्त समुद्री प्रजातियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I और II में सूचीबद्ध किया गया है, जिसके तहत उन्हें शिकार से सुरक्षा प्रदान की गई है।

iii. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 भारतीय तटरक्षक बल को अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के मामले में प्रवेश, तलाशी, गिरफ्तारी और हिरासत में लेने का अधिकार प्रदान करता है।

iv. मंत्रालय ने बड़े स्तर पर समुद्री पशुवर्ग के फंसने और उलझने के प्रबंधन के लिए 2021 में 'मरीन मेगाफौना स्ट्रैंडिंग प्रबंधन दिशानिर्देश' जारी किए हैं।

v. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत जारी तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2019 में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) जैसे मैंग्रोव, समुद्री घास, रेत के टीले, प्रवाल और प्रवाल भित्तियाँ, जैविक रूप से सक्रिय कीचड़ वाले मैदान, कछुओं के प्रवास के स्थान और हॉर्स शू केकड़ों के पर्यावासों के संरक्षण और प्रबंधन योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

vi. मंत्रालय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक परिचालन योजना के अनुसार, समुद्री प्रजातियों और उनके पर्यावासों सहित वन्यजीवों के संरक्षण के लिए, केंद्र प्रायोजित योजना - वन्यजीव पर्यावासों का विकास के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

vii. मंत्रालय ने काम्पा द्वारा वित्त पोषित परियोजना "भारत में डुगोंग और उनके पर्यावासों की पुनर्प्राप्ति: एक एकीकृत सहभागी दृष्टिकोण" के तहत गुजरात, तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में डुगोंग और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए सहयोग प्रदान किया है।

****